

**राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर**

भविष्य निधि खाते से अस्थायी अग्रिम लेने का आवेदन-पत्र  
[ अधिनियम संख्या 41 (10) (1) के अन्तर्गत अनुमति प्रदत्त ]

1. नाम.....कम्प्यूटर कोड संख्या.....
2. पद एवं कार्यालय/विभाग.....
3. मासिक वेतन की कुल राशि.....
4. अपेक्षित अग्रिम की राशि.....
5. अग्रिम राशि लेने का अभिप्राय.....
6. अग्रिम राशि की बसूली :  
(क) मासिक किस्तों की संख्या (यह 30 से अधिक नहीं होनी चाहिये)  
(ख) प्रत्येक किस्त की राशि
7. पिछले बकाया अग्रिम की राशि, यदि कोई है : संख्या.....दिनांक.....

आवश्यक कार्यवाही हेतु कुलसचिव, राजस्थान वि० वि० को प्रेषित है।

अधिष्ठाता/विभागाध्यक्ष

प्रार्थी के हस्ताक्षर

( कार्यालय द्वारा पूर्ति करने के लिये )

..... रुपये का अग्रिम पिछले भविष्य निधि अग्रिम रुपये..... सहित  
मासिक किस्तों में..... प्रति माह के हिसाब से काटने के लिये उनके भविष्य निधि खाता संख्या..... से  
उनके स्वयं के कुल अंशदान (Own subscription) के..... रुपये (जीवन बीमा में जमा कराये  
गये रुपये के व स्थायी अग्रिम के अलावा) के बदले स्वीकृत किया जावे।

स्वयं के अंशदान का कुल रूपया.....  
घटाया : 1. जीवन बीमा में जमा कराया रूपया.....  
2. विश्वविद्यालय अंशदान अग्रिम.....  
3. 50% स्थायी अग्रिम रूपया.....  
4. पिछला बकाया रूपया.....

योग.....  
शुद्ध अंशदान.....  
समायोजन करने के पश्चात् दी जाने वाली राशि.....  
रुपये..... का अग्रिम स्वीकृत किया जाता है।

कुलसचिव  
कृते उप-कुलसचिव

चेक नं०..... दिनांक..... ( अंके रूपया..... ) का चेक प्राप्त किया।

दिनांक .....

हस्ताक्षर प्राप्तकर्ता